अनीश डी. लावन्डे व अन्य

बनाम

गोवा राज्य व अन्य

(रिट चायिका (सी) संख्या 598/2013)

अगस्त 30, 2013

[अनिल आर. दवे व दीपक मिश्रा, जेजे.]

शिक्षा-दाखिला-स्नातकोत्तर मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रम-शैक्षिक वर्ष 2013-14- सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में विद्यार्थियों को नीट परीक्षा में रैंक हासिल किए जाने के आधार पर दाखिला दिया गया था- उच्चतम न्यायालय द्वारा नीट को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया, परंतु यह प्रतिपादित किया कि नीट के आधार पर दिए गए दाखिले सुरक्षित रहेंगे- तत्पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा नीट दाखिलों को निरस्त करने बाबत् आदेश पारित किया गया व 2004 दाखिला नियमों के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिल किया गया- नीट के द्वारा दाखिल हुए वद्यार्थियों द्वारा यह रिट याचिका दायर की गयी है- प्रतिपादितः वर्तमान मुकदमेबाजी एक बहुत ही दुखद परिस्थिति को दृष्टितगत करती है- नीट परीक्षा के आधार पर दिए गए दाखिलों को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान की गयी व ऐसे दाखिलों को राज्य सरकार के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता था- राज्य सरकार का उक्त कृत्य उनमें विवेक की कमी को दर्शाता है- याचिकाकर्ताओं

को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु अनुमति दी गयी- हालांकि 2004 नियमों के आधार पर दाखिल विद्यार्थियों पीड़ा का समाधान को भी संबोधित किया गया- अनुच्छेद 142 के तहत यह दिर्शा-निर्देश दिए गए कि संपूर्ण भारत कोटा में से 21 सीटें राज्य कोटे में 2004 नियमों के तहत दाखिल हुए विद्यार्थियों में से भरी जाने हेतु अंतरित की जावे- शैक्षिक वर्ष 2013-14 में सीटों को बढ़ायी जाने की प्रार्थना खारिज की गयी- अगले वर्ष की अनुमत सीटों में समायोजन की प्रार्थना भी खारिज की गयी- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 142 ।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 144 व 141-लोक प्राधिकरण-सरकार का यह कर्तव्य है कि वे न्यायालय के निर्णयों की पालना करें-तथ्यों में, राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा पोषम खेला गया व अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को अग्रसर हुए, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा सुरक्षा प्रदान की गयी थी- ऐसा कृत्य कतई अस्वीकार्य है-

प्रश्नगत सरकारी मेडिकल/डेंटल कॉलेज गोवा विश्वविद्यालय से संबंध था और गोवा (गोवा मेडिकल कॉलेज में गोवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियम) नियम, 2004 द्वारा शासित था। 09.08.2012 को सरकार ने गोवा मेडिकल काउंसिल ऑफ

इंडिया के शैक्षिक वर्ष 2013-14 में मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए नीट के नोटिफिकेशन को अनुमति दी।

नीट की शुरुआत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से शुरू हुई थी। उक्त नोटिफिकेशन व डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन को प्रकरण क्रश्चियन मेडिकल कॉलेज वैलोर में चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 13.12.2012 से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया व डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया व साथ ही राज्य व विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों को नीट परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी, परंतु साथ में उक्त परीक्षा का परिणाम आगामी आदेशो तक घोषित नहीं करने के निर्देश दिए थे। दिनांक 13.05.2013 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2012 के आदेश को संशोधित किया गया व आयोजित की गयी परीक्षाओं के परिणामों को घोषित करने की अनुमति दी गयी, ताकि संबंधित विद्यार्थी उसका फायदा वर्तमान वर्ष में उठा सके।

नीट परीक्षा के परिणाम तत्पश्चात् घोषित किए गए। नीट परीक्षा में प्राप्त रैंक व काउंसलिंग के आधार पर याचिकाकर्ताओं को राजकीय मेडिकल कॉलेज गोवा में दाखिला दिया गया था। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा नीट परीक्षा में असफल रहे व 2004 नियमों के तहत दाखिला हेतु पात्र पाए जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की गयी,

जिसमें यह अंतरिम आदेश दिनांक 20.06.2013 को पारित किए गए कि काउंसलिंग दोनों कैटेगरी के विद्यार्थियों की जावे।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2013 को अंतिम रूप से यह निर्धारित किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1956 के तहत नीट परीक्षा आयोजित करने हेतु सक्षम नहीं है व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया व डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रश्नगत नोटिफिकेशनों को रद्द किया गया, परंतु नीट के आधार पर दिए गए दाखिलों को अवैध घोषित नहीं किया गया।

तत्पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा 2004 नियमों के तहत दाखिला देने का निर्णय लिया गया व पूर्व में याचिकाकर्ताओं को नीट मेरिट के आधार पर दिया गया अनंतिम दाखिलों को निरस्त किया गया, जिस कारण यह रिट याचिका दायर की गयी है।

रिट याचिका निस्तारित किरते हुए, न्यायालय द्वारा

निर्णितः 1. वर्तमान मुक़दमा एक दुखद परिदृश्य को उजागर करता है। यह दुखद है, क्योंकि कुछ छात्रों के जीवन में अराजकता आ गई है और यह और भी दुखद है, क्योंकि गोवा राज्य और उसके पदाधिकारियों ने व्यवस्थागत अराजकता को प्रवेश की अनुमति दे दी है, संभवतः पूरी तरह से उदासीनता का रवैया अपनाते हुए और एक लाइलाज बीमारी का पोषण करते हुए औचित्य को ताक पर रख दिया है। (पैरा 1) (62 जी से एच)

कन्वीनर एमबीबीएस/बीडीएस सेलेक्शन बोर्ड व अन्य बनाम चन्दन मिश्रा व अन्य 1995 Supp (3) SCC 77; मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम मधु सिंह व अन्य (2002) 7 SCC 258: 2002 (2) Suppl. व आशा बनाम पं. बी.डी. शर्मा युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साईस व अन्य (2012) 7 SCC 389: 2012 (6) SCR 876 -उल्लेखित किया।

2. उच्च न्यायालय को तीन कारणों से रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, अर्थात्,

(i) सभी उच्च न्यायालयों से अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाएँ इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थीं;

(ii) न्यायालय समय-समय पर अंतरिम आदेश पारित करता रहा है; और

(iii) कि इसके द्वारा पारित किसी भी आदेश से किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होने की संभावना है। यद्यपि उच्च न्यायालय को किसी भी आदेश पर विचार नहीं करना चाहिए था और पारित नहीं करना चाहिए था, फिर भी हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश भी इस आशय के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतरिम आदेश आगे के आदेशों के अधीन था जो इस न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश पर निर्भर था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सुरक्षित था। इस न्यायालय ने अंतिम फैसले में संशोधित नियमों के तहत की गई

कार्यवाहियों को अमान्य नहीं किया था और इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनईईटी के आधार पर पहले से दिए गए प्रवेश भी शामिल थे। इस न्यायालय द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैलोर पारित निर्णय में बहुमत द्वारा यह स्पष्टतः कहा गया है कि नोटिफिकेशनों को निरस्त किए जाने से संशोधित नियमों के तहत किए गए कार्य जिसमें नीट परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाना शामिल है, अवैद्य नहीं हो जाते हैं। फलस्वरूप, किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में इस संबंध में तनिक मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि नीट परीक्षा के आधार पर किए गए दाखिले इस न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखे गए थे व उन दाखिलों को राज्य सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। (पैरा 21, 22) (73 एफ से जी) (74 बी से ई)

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वैलोर व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य 2013 (9) SCALE 226-उल्लेखित किया।

3.1 यह वास्तव में हैरान करने वाली बात है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय के आदेश के बावजूद 25.7.2013 को एनईईटी मेरिट परीक्षा के आधार पर छात्रों को दिए गए अनंतिम प्रवेश को रद्द करने का निर्णय लिया। यह कृत्य निस्संदेह विवेक की पूर्ण कमी को दर्शाता है। निर्णय सुनाये जाने के बाद अपर सचिव (स्वास्थ्य) ने एक प्रकार का बचकाना ज्ञान जिसे अलग-अलग शब्दावली में अहंकेंद्रित ज्ञान का विकृत भाव कहा

जा सकता है, सरकार के निर्णय दिनांक 25.7.2013 से अवगत कराया था। राज्य सरकार के इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य की तुलना "असामान्य स्तर पर सामान्य ज्ञान की अनुपस्थिति" से की जा सकती है। सरकार में अधिकारियों को यह समझने की आवश्यकता है कि बुनियादी शासन में विचारशील, सतर्क, उचित और कानूनी निर्णय लेना शामिल है। यह सरकार का पवित्र कर्तव्य है कि वह कानून और अदालत की घोषणाओं का पालन करे और इस तरह के हथकंडों का सहारा न ले। (पैरा 14, 15 व 23) (71-ए, एफ; 70-जी से एच; 74 ई से जी)

3.2 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। शक्ति का प्रयोग करने से पहले व्यक्ति को ऐसी शक्ति के उद्देश्य और उन स्थितियों को समझना आवश्यक है जिनमें इसका प्रयोग किया जाना है। इसी प्रकार, जब कोई सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है तो उसे विधिक स्थिति के संबंध में जागरूक होना होता है व वह इस संबंध में बेखर नहीं रह सकता है। यहां राज्य सरकार के अधिकारियों ने पोसम खेलने का साहस दिखाया और उन उम्मीदवारों के भाग्य को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें इस न्यायालय के फैसले से संरक्षित किया गया था। ऐसी कार्रवाई बिल्कुल अस्वीकार्य है. इस प्रकार 25.7.2013 के पत्र का विश्लेषण किया जाना चाहिए और हम ऐसा करते हैं। रिट याचिकाकर्ताओं, जिन्हें एनईईटी परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया गया है, को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। (पैरा 24) (75-ए, बी, ई, जी)

सुपरइंटेंडिंग इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ, यू.टी. चंडीगढ़ व अन्य बनाम कुलदीप सिंह व अन्य (1997) 9 SCC 199: 1997 (1) SCR 454 व कमिश्नर ऑफ पुलिस, बॉम्बे बनाम गोरधनदास भानजी AIR 1952 SC 16: 1952 SCR 135-उल्लेखित किया।

जुलियस बनाम लॉर्ड बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड (1880) 5 A.C. 214-उल्लेखित किया।

4.1 नियमों के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्रों की पीड़ा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स, पूरी तरह से असाधारण होने के कारण, हमें एक निर्देश जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है ताकि यह कम से कम कुछ छात्रों के लिए एक उपशामक के रूप में कार्य कर सके जिन्हें प्रवेश दिया गया था। मामले की विशेष विशेषताओं और सामने आए मुकदमों और राज्य सरकार द्वारा की गई गलती को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्देश देना चाहते हैं कि राज्य कोटे में स्थानांतरित की गई 21 सीटें उन छात्रों के बीच से भरी जाएंगी, जिन्होंने 2004 के नियमों के तहत प्रवेश लिया था। प्रवेश और स्ट्रीम का आवंटन नियमों के अनुसार उनकी परस्पर योग्यता पर होगा। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी उम्मीदवार को उन स्ट्रीमों का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पहले से ही

उन याचिकाकर्ताओं को आवंटित की गई हैं जिन्हें एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रवेश दिया गया था। कुछ सीटें खाली हैं क्योंकि कुछ छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया है। यदि रिक्तियां हो गई हैं, तो उन्हें नियमों के तहत निर्धारित योग्यता के आधार पर भी भरा जा सकता है। (पैरा 25, 30) (75-ए; 76-ए; 78 बी से जी)

4.2 उपरोक्त निर्णयों से दो सिद्धांत सामने आते हैं: (i) सीटों की वृद्धि के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता है और (ii) एक वर्ष की खाली सीटों को अगले वर्षों की अनुमत सीटों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। (पैरा 28) (77- जी)

4.3 एक तर्क इस आशय का रखा गया था कि शैक्षिक वर्ष 2013-14 में सीटों को बढ़ा देना चाहिए व विद्यार्थियों को भी समायोजित किया जाना चाहिए। कॉलेज द्वारा 2014-15 के लिए सीटें बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और इस याचिका के लंबित रहने के दौरान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसे वर्ष 2013-14 के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। सीटों की वृद्धि के लिए निरीक्षण की आवश्यकता होती है और इसे विनियमों के एक सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और, किसी भी स्थिति में, 2014-15 के लिए आवेदन को चालू वर्ष में संसाधित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। अगला निवेदन इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या जिन छात्रों को इस वर्ष के राज्य कोटा में स्थानांतरित

अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अगले वर्ष समायोजित किया जा सकता है। कुछ व्यक्तिगत मामलों में जहां दोषपूर्ण परामर्श है और योग्यता प्रभावित हुई है, इस न्यायालय ने अगले शैक्षणिक सत्र में समायोजन का निर्देश दिया है, लेकिन मौजूदा मामले में, यह बिल्कुल सच नहीं है। अगले शैक्षणिक वर्ष के संबंध में उन्हें समायोजित करने के लिए निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका सहारा लेने से अन्य मेधावी उम्मीदवार प्रभावित होंगे जो अगले वर्ष प्रवेश पाने के इच्छुक होंगे। वर्तमान में कुछ लोगों के साथ समानता करने के लिए हम भविष्य में दूसरों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। फलस्वरूप, तर्कों को खारिज किया जाता है।

सत्यब्रता साहू व अन्य बनाम ओडिसा राज्य व अन्य (2012) 8 SCC 203:2012 (10) SCR 204 व फैजा चौधरी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य व अन्य (2012) 10 SCC 149: 2012 (7) SCR 528-आधार बनाया।

के.एस. भोइर बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2001) 10 SCC 264: 2001 (5) Sippl. 593; मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (1998) 6 SCC 131: 1998 (3) SCR और प्रिया गुप्ता व अन्य छतीसगढ़ राज्य व अन्य (2012) 7 SCC 433: 2012 (5) SCR 768-उल्लेखित किया।

केस लॉ रेफरेंस

1995 Supp (3) SCC 77	पैरा 1	उल्लेखित किया
2002 (2) Suppl. SCR 228	पैरा 1	उल्लेखित किया
2012 (6) SCR 876	पैरा 2	उल्लेखित किया
2013 (9) SCALE 226	पैरा 6	उल्लेखित किया
1997 (1) SCR 454	पैरा 24	आधार बनाया
(1880) 5 A.C. 214	पैरा 24	उल्लेखित किया
1952 SCR 135	पैरा 24	आधार बनाया
2001 (5) Suppl. SCR 593	पैरा 25	उल्लेखित किया
2012 (7) SCR 528	पैरा 25	आधार बनाया
2012 (10) SCR 204	पैरा 25	आधार बनाया
1998 (3) SCR 740	पैरा 25	उल्लेखित किया
2012 (5) SCR 768	पैरा 30	उल्लेखित किया

सिविल ऑरिजन ज्यूरिसडिक्शन: रिट पिटिशन (सी) संख्या 598/2013

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

आर.एफ. नरिमन, हुजेफा अहमदी, सी.यू. सिंह, इंदु मल्होत्रा, राहन शर्मा, जयंत मोहन, सिद्धार्थ भटनागर, पवन के आर. बंसन, टी. महिपाल, विक्रम मेहता, अंशुमान श्रीवास्तव, गौरंग पी. (विकास मेहत्रा की ओर से), अमित कुमार, अंकित राजघना उपस्थित पक्षकारों की और से।

इस न्यायलय का निर्णय लिखाया गया

दीपक मिश्रा, जे.

1. वर्तमान मुक़दमा एक दुखद परिदृश्य को उजागर करता है। यह दुखद है, क्योंकि कुछ छात्रों के जीवन में अराजकता आ गई है और यह और भी दुखद है, क्योंकि गोवा राज्य और उसके पदाधिकारियों ने व्यवस्थागत अराजकता को प्रवेश की अनुमति दे दी है, संभवतः पूरी तरह से उदासीनता का रवैया अपनाते हुए और एक लाइलाज बीमारी का पोषण करते हुए औचित्य को ताक पर रख दिया है। संदर्भ गोवा के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का है। संयोजक, एमबीबीएस/बीडीएस चयन बोर्ड और अन्य बनाम चंदन मिश्रा और अन्य[1] के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों की असंवेदनशीलता की गंभीरता से निंदा की थी और आगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम मधु सिंह और अन्य[2] मामले में इसकी गूंज सुनाई दी। चंदन मिश्रा (सुप्रा) के मामले में

1
2

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के एक वाक्य को मंजूरी दे दी थी, जिसमे बड़ी पीड़ा में यह घोषित किया गया था: "ओथेलो में शेक्सपियर ने लिखा है" अराजकता फिर से आ गई है"।

2. वेदना की गाथा निरंतर निरंतरता के साथ जारी है। आशा बनाम पं. में बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य[3] में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय शुरू किया: -

> "मेडिकल पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस और बीडीएस) में प्रवेश तीन दशकों से अधिक समय से लगातार न्यायिक जांच और समीक्षा का विषय रहा है। जहाँ इस न्यायालय ने कानून प्रतिपादित किया है और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश और चयन प्रक्रिया के एक पहलू के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवाद को सुलझा दिया है, इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की प्रतिभाशीलता के कारण और भी अधिक जटिल और परिष्कृत प्रश्न सामने आए हैं जो समय बीतने के साथ न्यायालय के विचारार्थ आये हैं। चयन और प्रवेश देने की प्रक्रिया के संबंध में निर्धारित योजना और अधिसूचनाओं में शायद ही कोई कमज़ोरियां, अशुद्धियां या अव्यवहारिकताएं पाई जा सकती हैं। यह अनुसूची के कार्यान्वयन में शक्ति और हेरफेर का मनमाना उपयोग है और साथ ही संबंधित

3

व्यक्तियों या इसमें शामिल अधिकारियों द्वारा छात्रों के साथ मिलीभगत करके या अन्यथा प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से विकृत संचालन है, जिसने पूरी प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित किया है। यह मनमाने ढंग से, भेदभावपूर्ण तरीके से या विषय से संबंधित नियमों के प्रतिकूल तरीके से दिए गए प्रवेश हैं, जिन्होंने न्यायिक प्रश्नोत्तरी को आमंत्रित किया है। समय बीतने के साथ, ऐसे मुकदमों की मात्रा कई गुना बढ़ गई है।"

3. हमने ऐसी प्रारंभिक टिप्पणी के साथ शुरुआत की है और उपरोक्त घोषणाओं का उल्लेख किया है, क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं, वे किसी की अंतरात्मा को झकझोर देंगे। एक जानबूझकर की गई भूलभुलैया जो न केवल कानून की महिमा, शुद्धता और पवित्रता पर हमला करती है, बल्कि साथ ही एक जटिल स्थिति भी पैदा करती है, जिसके लिए इस न्यायालय को जहां तक संभव हो, स्थिति को सुधारने के लिए एक अलग तरीके से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ताकि कुछ सकारात्मक प्रभाव हो।

4. वर्तमान में तथ्यों के लिए। गोवा राज्य ने नियमों का एक सेट तैयार किया है, जिसका नाम है, गोवा (गोवा मेडिकल कॉलेज में गोवा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियम) नियम, 2004 (संक्षेप में "नियम")। नियम 3 पात्रता,

वरीयता और योग्यता क्रम से संबंधित है। नियम 3(1) पात्रता मानदंड से संबंधित है और नियम 3(2) प्राथमिकता से संबंधित है। नियमों का नियम 3(3) योग्यता क्रम से संबंधित है। उक्त नियम का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"(3) योग्यता का क्रम-

(i) योग्यता का क्रम कुल अंकों के प्रतिशत से निर्धारित किया जाएगा।

(ii) कुल अंक-कुल अंकों का प्रतिशत प्रथम, द्वितीय और तृतीय एमबीबीएस परीक्षाओं के सभी विषयों में प्राप्त अंकों को जोड़कर और निम्नलिखित कटौती के बाद इसे एक प्रतिशत तक घटाकर निकाला जाएगा: -

क) प्रत्येक असफलता के लिए, अनुत्तीर्ण विषय के अंकों में से 5 प्रतिशत अंक काटे जाएंगे

ख) यदि छात्र विषय में फेल हो जाता है तो ऊपर बताए अनुसार 5 प्रतिशत अंक भी काटे जाएंगे।

(iii) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार ऊपर दी गई मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो विषय में प्राप्त अंक योग्यता तय करेंगे। यदि विषय के अंक भी समान हैं, तो अंतिम एमबीबीएस परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल

अंक, या द्वितीय एमबीबीएस परीक्षा के कुल अंक या पहली एमबीबीएस परीक्षा के कुल अंक, यह इस पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार क्लिनिकल में पंजीकरण चाहता है या नहीं या क्रमशः पैरा-क्लिनिकल या प्री-क्लिनिकल विषय में चाहता है या नहीं, योग्यता तय करेंगे।

(iv) एक उम्मीदवार, जो किसी विशेष विषय में तीन बार असफल हुआ है, उस डिग्री या डिप्लोमा के लिए पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा जिसके लिए उस विषय के अंकों पर विचार किया जाता है।

(v) स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि ऊपर निर्धारित है।"

5. उक्त नियम गोवा विश्वविद्यालय से संबद्ध एकमात्र मेडिकल कॉलेज और एकमात्र डेंटल कॉलेज, दोनों सरकारी कॉलेजों में प्रवेश को नियंत्रित करता है। दिनांक 9.8.2012 को गोवा सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य

विभाग ने अपने अवर सचिव (स्वास्थ्य) के माध्यम से डीन, गोवा मेडिकल कॉलेज को इस प्रकार सूचित किया: -

> "मुझे ऊपर उद्धृत विषय पर आपके संदर्भित पत्र संख्या एकेड/141/एनईईटी/12/जीएमसी/245 दिनांक 27.6.2012 पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी)की अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।"

6. लिए गए निर्णय के अनुसरण में छात्र मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए नवंबर-दिसंबर, 2012 में और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए जनवरी, 2013 में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में उपस्थित हुए। यह ध्यान देने योग्य है कि एनईईटी की शुरूआत भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक अधिसूचना जारी करके की गई थी। उक्त अधिसूचना के साथ-साथ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी अधिसूचना को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य[4] मामले में चुनौती दी गई।

---

4 2013 (9) SCALE 226.

7. रिट याचिकाओं के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किए गए स्थानांतरित मामलों के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने 13.12.2012 को निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"इन मामलों को 15 जनवरी, 2013 को सुनवाई हेतु रखा जावे ।

इस बीच, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, साथ ही राज्य और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए अपनी संबंधित परीक्षाएं आयोजित करने के हकदार होंगे, लेकिन इसके परिणाम, इस न्यायालय के अगले आदेश तक, घोषित नहीं करेंगे।

संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को 7 जनवरी, 2013 तक अपनी लिखित दलीलें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

इस आदेश की प्रतियां संबंधित प्राधिकारियों को संचार के लिए संबंधित पक्षों के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को उपलब्ध कराई जाएं।

इस आदेश का राज्यों, भारत संघ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी व्यापक प्रचार किया जा सकता है ताकि जो छात्र प्रवेश

परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं, उन्हें इसकी जानकारी हो सके।

[रेखांकन हमारे द्वारा किया गया है]

8. उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए नीट परीक्षा आयोजित की गई। 13.5.2013 को इस न्यायालय ने अधिसूचनाओं को चुनौती देने का व 13.12.2012 को पारित आदेश उल्लेख किया और उसके बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"3. 13 दिसंबर, 2012 को, जब मामलों पर विचार किया गया, तो हमने मामलों को 15, 16 और 17 जनवरी, 2013 को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का फैसला किया और संबंधित प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने की अनुमति दी, जिन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका था। ऐसी परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के साथ-साथ बीडीएस और एमडीएस परीक्षाएं भी शामिल थीं। यह मानते हुए कि सुनवाई बताई गई तारीखों पर पूरी हो जाएगी, हमने निर्देश दिया था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, साथ ही राज्य और विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान,

बीडीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, एमबीबीएस के लिए अपनी-अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के हकदार होंगे, लेकिन परीक्षाओं के परिणाम न्यायालय के अगले आदेश तक घोषित नहीं किए जाने थे। नतीजतन, हालांकि, परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, लेकिन हमारे द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण परिणाम रोक दिए गए हैं और घोषित नहीं किए गए हैं।

4. सुनवाई का दायरा बढ़ने और मामले में जिन पक्षों को सुना जाना था उनकी बड़ी संख्या के कारण सुनवाई 17 जनवरी, 2013 के भीतर समाप्त नहीं हो सकी, जैसी कि हमें उम्मीद थी। वास्तव में, मामलों की आखिरी सुनवाई 30 अप्रैल, 2013 को हुई थी, और इसलिए, 10 मई, 2013 को गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद होने से पहले फैसला सुनाना संभव नहीं था।

5. जब मामलों की सुनवाई हो रही थी, हमें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर और कर्नाटक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने सूचित किया था कि यदि उनके परिणामों की घोषणा पर लगी रोक नहीं हटाई गई तो बड़ी संख्या में छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

और उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। हालाँकि, शुरुआत में, हमने सुनवाई पूरी होने में देरी और इसके कारण छात्रों का एक साल बर्बाद होने की संभावना के कारण ऐसी प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया था, हमें लगता है कि एमबीबीएस के साथ-साथ स्नातकोत्तर में भी प्रवेश पाने की उम्मीद कर रहे छात्र-परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम, जो पहले ही आयोजित हो चुके हैं और जिसके लिए वे उपस्थित हुए थे, उन्हें ऐसे अवसर से कम से कम इस वर्ष के लिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हम इस तथ्य से भी परिचित हैं कि मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर छात्र ही अस्पतालों में मरीजों के चिकित्सा उपचार की जिम्मेदारी लेते हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नए प्रवेशकों के बिना, एक वर्ष तक भी, अस्पतालों में मरीजों की सीधे देखभाल करने के लिए डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पतालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

6. उपरोक्त के अलावा, जो छात्र एमबीबीएस और बीडीएस और स्नातकोत्तर स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने की इच्छा रखते हैं, वे बिना किसी गलती के कानूनी पचड़े में फंस गए हैं और नीतिगत निर्णयों के शिकार हैं। उनके हितों की रक्षा के साथ-साथ अस्पतालों के हितों की

रक्षा के लिए, हम इस वर्ष की प्रवेश परीक्षाओं के लिए 13 दिसंबर, 2012 को हमारे द्वारा लगाई गई रोक को हटाना उचित और न्यायसंगत मानते हैं और उस सीमा तक, हम अपने आदेश को संशोधित करते हैं। 13 दिसंबर, 2012, और पहले से आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की अनुमति दें ताकि छात्र चालू वर्ष के लिए इसका लाभ उठा सकें।"

[जोर दिया गया]

9. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, एनईईटी के परिणाम 16.5.2013 को घोषित किए गए। इसमें रिट याचिकाकर्ताओं ने रैंक हासिल की जो उन्हें गोवा राज्य में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का हकदार बनाती है।

10. जब मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था और यह न्यायालय कई तथ्य स्थितियों के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर रहा था, तो गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने छात्रों द्वारा 2013 की रिट याचिका संख्या 366 पर विचार किया, जो एनईईटी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन नियमों के तहत दिए गए अपने कुल अंकों के आधार पर प्रवेश पाने के पात्र थे, और निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया:-

"श्रीमान नाडकर्णी का तर्क है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उन छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो गोवा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस परीक्षा की श्रेणी में आते हैं और साथ ही जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा ('संक्षेप में 'नीट') उत्तीर्ण की है और परामर्श और प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में एनईईटी के परिणाम के आधार पर एमसीआई नियमों के अनुसार की जा रही है। मामले में समानता को ध्यान में रखते हुए, हम उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि वे दोनों श्रेणियों के छात्रों के संबंध में काउंसलिंग आयोजित करें और उन छात्रों को प्रवेश की अनुमति दें, जिन्होंने एनईईटी उत्तीर्ण किया है, जो इस न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेशों के अधीन होगा जो शीर्ष न्यायालय द्वारा उन के समक्ष लंबित मामले में पारित किये जाने वाले आदेशों पर निर्भर करेगा। चयनित उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा कि प्रवेश प्रकृति में अनंतिम हैं और इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होगा।"

11. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि एनईईटी परीक्षा और काउंसलिंग में रैंक के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं को गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया गया था।

12. इस समय, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि कुछ हद तक समस्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा पैदा की गई है। हमारे आदेश पर पूरे सम्मान के साथ, हम कह सकते हैं कि जब मामला इस न्यायालय के समक्ष था और समय-समय पर अंतरिम आदेश पारित किए जा रहे थे, तो उच्च न्यायालय को याचिका पर विचार न करने और कोई अंतरिम आदेश पारित न करने की सलाह दी जानी चाहिए थी। इस तरह का प्रतिबंध अपेक्षित था, और खासकर उन परिस्थितयों में जब इस न्यायालय में कई रिट याचिकाएँ स्थानांतरित की गई थीं और न्यायालय 115 मामलों से निपट रहा था।

13. इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं और स्थानांतरित मामलों का निर्णय 18.7.2013 को किया गया, जिससे बहुमत से यह निष्कर्ष निकला कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एनईईटी आयोजित करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम, 1956 के तहत अधिकार नहीं है। इस प्रकार बहुमत रखने के बाद निम्नानुसार निर्देश दिया गया:-

> "163. इसलिए, स्थानांतरित मामले और रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और विवादित अधिसूचना संख्या एमसीआई- 31(1)/2010-एमईडी/49068, और एमसीआई.18(1)/2010-एमईडी/49070, दोनों दिनांक 21

दिसंबर, 2010, अधिसूचना संख्या DE-22-2012 दिनांक 31 मई, 2012 के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या DE-22-2012 दिनांक 31 मई, 2012 व उसके साथ लागू किये जाने वाले संशोधित विनियमों को, को रद्द किया जाता है। हालाँकि, यह संशोधित विनियमों के तहत अब तक की गई कार्यवाहियों को अमान्य नहीं करेगा, जिसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा आयोजित एनईईटी के आधार पर पहले से ही दिए गए प्रवेश भी शामिल हैं व यह सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

[महत्व जोड़ें]

14. निर्णय सुनाये जाने के बाद अपर सचिव (स्वास्थ्य) ने एक प्रकार का बचकाना ज्ञान जिसे अलग-अलग शब्दावली में अहंकेंद्रित ज्ञान का विकृत भाव कहा जा सकता है, सरकार के निर्णय दिनांक 25.7.2013 से अवगत कराया था जो इस प्रकार है:-

"द डीन

गोवा मेडिकल कॉलेज,

बम्बोलिम-गोवा

विषय: जीएमसी में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में सरकार का निर्णय।

मुझे उपरोक्त विषयान्तगर्त, आपके संदर्भित पत्र संख्या Acad/175/GMC/2013/441 दिनांक 23.7.2013 पर सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है कि सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र श्रृंखला I संख्या 50 और श्रृंखला I क्रमांक 51, अधिसूचना क्रमांक I/B/2033-II/PHD में अधिसूचित मौजूदा नियमों के अनुसार, कुल एमबीबीएस अंकों के आधार पर स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए छात्रों को प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार पहले NEET मेरिट के आधार पर दिए गए अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं।

[रेखांकित हमारे द्वारा किया गया है]

15. राज्य सरकार के इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य की तुलना "असामान्य स्तर पर सामान्य ज्ञान की अनुपस्थिति" से की जा सकती है।

16. जब 25.7.2013 को रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष आईं, तो उन्होंने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

" प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री नाडकर्णी ने कहा कि 2012 की टीसी (सी) संख्या 98 और संबद्ध मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक

18/07/2013 के फैसले के मद्देनजर, राज्य सरकार ने अपने निर्णय दिनांक 15/06/2013 का पालन करने और राज्य विनियमों के अनुसार प्रवेश देने का निर्णय लिया है ।

विद्वान महाधिवक्ता, श्री लोटलीकर द्वारा दिए गए कथनो के मद्देनजर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिस पर निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आपत्ति जताई। याचिका वापस लेने की अनुमति देने से पहले, हम उत्तरदाताओं को सुनना उचित समझते हैं।

हम राज्य सरकार को यह भी निर्देश देते हैं कि वह एक जिम्मेदार अधिकारी का हलफनामा दायर करके उक्त नियमों का पालन करने के लिए अपने द्वारा लिए गए निर्णय को रिकॉर्ड में रखे। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वकील को अग्रिम प्रतियों के साथ 29/07/2013 तक शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा ।

17. उपरोक्त घटना के बाद अराजकता फ़ैल गयी। जो उम्मीदवार एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और उन्हें प्रवेश मिल गया था, उन्हें कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और जो छात्र नियमों के तहत उत्तीर्ण हुए थे, उन्हें प्रवेश दिया गया। पीड़ित छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया और न्यायालय ने 30.7.2013 को राज्य सरकार के आदेश

पर रोक लगा दी और उसके बाद 7.8.2013 को इस आशय का एक अनिवार्य आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

18. मामले का जोर इस बात पर है कि क्या याचिकाकर्ताओं को जारी रखने का कोई अधिकार है या जिन उत्तरदाताओं को नियमों के तहत प्रवेश दिया गया है, उन्हें प्रवेश का अधिकार है।

19. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.एफ. नरीमन ने अत्यधिक दृढ़ता के साथ आग्रह किया कि गोवा राज्य ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से एनईईटी परीक्षा स्वीकार कर ली है और इसलिए, इसे बदले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि इस न्यायालय द्वारा अपने अंतिम फैसले में दी गई सुरक्षा के मद्देनजर, जो उनके प्रवेश की रक्षा करता है, उनके अधिकारों को इतने अतार्किक तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता था।

20. गोवा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिंह का कहना है कि नीट को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति या गैर-स्वीकृति महत्वहीन हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रवेश अनंतिम होना

चाहिए, सफल नीट उम्मीदवारों को दिए गए प्रवेश को रद्द करने का आदेश जारी किया था।

21. हमने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर (सुप्रा) में 18.7.2013 को इस न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के पैराग्राफ 163 को पहले ही पुनः प्रस्तुत कर दिया है जिसमे बहुमत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिसूचनाओं को रद्द करने से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनईईटी के आधार पर पहले से दिए गए प्रवेश सहित संशोधित नियमों के तहत पहले से की गई कार्रवाई अमान्य नहीं होगी। इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने अर्हता प्राप्त की थी और प्रवेश लिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.6.2013 द्वारा दोनों श्रेणियों के छात्रों के संबंध में काउंसलिंग आयोजित करने और एनईईटी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अगले आदेशों के अधीन प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया, जो शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेंगे। उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को यह नोटिस दिया जाना चाहिए कि प्रवेश प्रकृति में अनंतिम हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होंगे। उच्च न्यायालय को तीन कारणों से रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, अर्थात्,

(i) सभी उच्च न्यायालयों से अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाएँ इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थीं;

(ii) न्यायालय समय-समय पर अंतरिम आदेश पारित करता रहा है; और

(iii) कि इसके द्वारा पारित किसी भी आदेश से किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने अंततः मामले का फैसला सुनाते समय क्या किया होगा यह एक और मुद्दा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 25.7.2013 को लिए गए निर्णय के आधार पर, संभवतः विद्वान महाधिवक्ता ने 25.7.2013 को न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिंह का कहना था कि सभी प्रवेश अनंतिम हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है, राज्य सरकार ने आदेशों की व्याख्या करने के बाद उचित समझा कि एनईईटी में रैंक के आधार पर दिए गए प्रवेश रद्द कर दिए जाने चाहिए और नियमों के तहत दिए गए प्रवेश बरकरार रखे जाने चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि सरकार ने कैसे फैसला लिया है। यद्यपि हमने कहा है कि उच्च न्यायालय को किसी भी आदेश पर विचार नहीं करना चाहिए था और पारित नहीं करना चाहिए था, फिर भी हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश भी इस आशय के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतरिम आदेश आगे के

आदेशों के अधीन था जो इस न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश पर निर्भर था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सुरक्षित था। इस न्यायालय ने अंतिम फैसले में संशोधित नियमों के तहत की गई कार्यवाहियों को अमान्य नहीं किया था और इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनईईटी के आधार पर पहले से दिए गए प्रवेश भी शामिल थे। इसलिए, किसी के मन में यह संदेह नहीं हो सकता था कि NEET परीक्षा के आधार पर दिए गए प्रवेशों को इस न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया था और इसलिए, उनके प्रवेश राज्य सरकार द्वारा रद्द नहीं किए जा सकते थे।

23. यह वास्तव में हैरान करने वाली बात है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय के आदेश के बावजूद 25.7.2013 को एनईईटी मेरिट परीक्षा के आधार पर छात्रों को दिए गए अनंतिम प्रवेश को रद्द करने का निर्णय लिया। यह कृत्य निस्संदेह विवेक की पूर्ण कमी को दर्शाता है। सरकार में अधिकारियों को यह समझने की आवश्यकता है कि बुनियादी शासन में विचारशील, सतर्क, उचित और कानूनी निर्णय लेना शामिल है। यह सरकार का पवित्र कर्तव्य है कि वह कानून और अदालत की घोषणाओं का पालन करे और इस तरह के हथकंडों का सहारा न ले। सरकार को खुद को बेंजामिन डिज़रायली की बात याद दिलानी चाहिए थी:

"मैं दोहराता हूं-कि सारी शक्तियां एक भरोसा है-कि हम इसके प्रयोग के लिए जवाबदेह हैं-कि, लोगों से और लोगों के लिए, सभी स्रोत, और सभी का अस्तित्व होना चाहिए।"

24. यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। शक्ति का प्रयोग करने से पहले व्यक्ति को ऐसी शक्ति के उद्देश्य और उन स्थितियों को समझना आवश्यक है जिनमें इसका प्रयोग किया जाना है। इसी प्रकार, जब कोई सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है तो उसे विधिक स्थिति के संबंध में जागरूक होना होता है व वह इस संबंध में बेखर नहीं रह सकता है। इस संदर्भ में, हम अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यूटी चंडीगढ़ और अन्य बनाम कुलदीप सिंह और अन्य[5] मामले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें न्यायालय द्वारा जूलियस बनाम लार्ड बिशप ऑफ आक्सफार्ॅड[6] मामले में हाउस ऑफ लाड्र्स की फार्ल केन्र्स एल.सी. की टिप्पणियों को दोहराया गया था, जो इस न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरण कमिश्नर ऑफ पुलिस, बॉम्बे बनाम गोर्धनदास भानजी[7] में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। संक्षेप में कहा गया अनुच्छेद इस प्रकार है: -

5 (199) 9 SCC 199.
6 (1880) 5A.C. 214.
7 AIR 1952 SC 16.

"जिस चीज को करने का अधिकार दिया गया है उसकी प्रकृति में कुछ होना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए यह किया जाना है उसमें कुछ होना चाहिए, उन परिस्थितियों में कुछ होना चाहिए, जिनके तहत यह किया जाना है, उन व्यक्ति या व्यक्तियों के टाइटल में कुछ होना चाहिए, जिसके लाभ के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जो शक्ति को एक कर्तव्य के साथ जोड़ जाना है और उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है जिसमें शक्ति सौंपी गई है, जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह उस शक्ति का प्रयोग करे।"

लेकिन, दुर्भाग्य से, यहां राज्य सरकार के अधिकारियों ने पोसम खेलने का साहस दिखाया और उन उम्मीदवारों के भाग्य को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें इस न्यायालय के फैसले से संरक्षित किया गया था। ऐसी कार्रवाई बिल्कुल अस्वीकार्य है. इस प्रकार 25.7.2013 के पत्र का विश्लेषण किया जाना चाहिए और हम ऐसा करते हैं। रिट याचिकाकर्ताओं, जिन्हें एनईईटी परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया गया है, को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

25. पीड़ा और शोक यहीं समाप्त नहीं होते। हमारी राय में, नियमों के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्रों की पीड़ा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सच है, उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय उच्च

न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, वे चिंता में हो सकते हैं, क्योंकि NEET परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उन्हें अस्थायी प्रवेश मिल गया। उन्होंने कुछ समय तक अपनी पढ़ाई पर मुकदमा चलाया है। यदि एनईईटी की शुरुआत नहीं हुई होती तो उन्हें नियमों के तहत प्रवेश दिया गया होता। लेकिन, वर्तमान में स्थिति बिल्कुल अलग है। समस्या का समाधान करने के इरादे से हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमित कुमार ने हमारा ध्यान के.एस. भोइर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य[8], फैज़ा चौधरी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य[9], सत्यब्रत साहू और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य[10] और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य[11] मामले में इस न्यायालय के फैसलों की ओर आकर्षित किया है। विद्वान वकील ने सत्यब्रत साहू और फैज़ा चौधरी (सुप्रा) की घोषणाओं से काफी प्रेरणा ली है।

26. सत्यब्रत साहू मामले में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार कहा है: -

8 (2001) 10 SCC 264.
9 (2012) 10 SCC 149.
10 (2012) 8 SCC 203.
11 (1998) 6 SCC 131.

"पंजाब राज्य बनाम रेनुका सिंगला[12] में इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निर्देश जारी करने में उदार या दानी नहीं हो सकते हैं जो कि यह छात्रों के प्रवेश के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उनके स्वयं के वैधानिक नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने का निर्देश देने के समान हो। चिकित्सा शिक्षा सहित तकनीकी शिक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों को उचित शिक्षा देने की आवश्यकता से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। बुनियादी ढांचे, उपकरण और कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश की संख्या की सीमा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय की जाती है।

इसके बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने इस प्रकार कहा:-

"... मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य में इस न्यायालय ने माना कि प्रवेशित छात्रों की संख्या नियमों के अनुसार मेडिकल काउंसिल द्वारा तय की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।"

मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार उचित बुनियादी ढांचे की परवाह किए बिना मेडिकल कॉलेजों में सीटें अंधाधुंध नहीं बढ़ाई जा सकतीं।

12 (1994) 1 SCC 175.

27. फ़ैज़ा चौधरी (सुप्रा) में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार फैसला सुनाया है: -

> "मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य में इस न्यायालय ने माना कि प्रवेशित छात्रों की संख्या मेडिकल काउंसिल द्वारा नियमों के अनुसार तय की गई संख्या से अधिक नहीं हो सकती है और मेडिकल कॉलेजों में सीटों को उचित ध्यान दिए बिना अंधाधुंध नहीं बढ़ाया जा सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम मधु सिंह[13] में, इस न्यायालय ने माना कि एक वर्ष की खाली सीटों को अगले वर्ष की अनुमत सीटों के साथ टेलीस्कोपिंग नहीं किया जा सकता है। हाल ही में, सत्यब्रत साहू बनाम उड़ीसा राज्य में इस न्यायालय ने दोहराया है कि आने वाले वर्षों में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों की कीमत पर सीटें बढ़ाना संभव नहीं होगा।

28. उपरोक्त निर्णयों से दो सिद्धांत सामने आते हैं:

(i) सीटों की वृद्धि के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता है और

(ii) एक वर्ष की खाली सीटों को अगले वर्षों की अनुमत सीटों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है।

---

13 (2002) 7 SCC 258.

29. इस समय, हम प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य[14] का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए थे और अपीलकर्ताओं को पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी थी।

30. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स, पूरी तरह से असाधारण होने के कारण, हमें एक निर्देश जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है ताकि यह कम से कम कुछ छात्रों के लिए एक उपशामक के रूप में कार्य कर सके जिन्हें प्रवेश दिया गया था। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिंह और निजी उत्तरदाताओं की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री इंदु मल्होत्रा ने हमें अवगत कराया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटा की 21 सीटें और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में 7 सीटें, राज्य कोटे में स्थानांतरित कर दी गई हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान वकील श्री अमित कुमार, संख्याओं पर विवाद न करते हुए, कहा कि उन्हें विभिन्न मापदंडों पर भरा जाना है। हम उक्त स्थिति के प्रति पूर्णतः सचेत हैं। हालाँकि, मामले की विशेष विशेषताओं और सामने आए मुकदमों और राज्य सरकार द्वारा की गई गलती को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्देश देना चाहते हैं कि राज्य कोटे में स्थानांतरित की गई 21 सीटें उन छात्रों के बीच से भरी जाएंगी, जिन्होंने 2004 के नियमों के तहत

14 (2012) 7 SCC 433.

प्रवेश लिया था। यह बताने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि प्रवेश और स्ट्रीम का आवंटन नियमों के अनुसार उनकी परस्पर योग्यता पर होगा। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी उम्मीदवार को उन स्ट्रीमों का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पहले से ही उन याचिकाकर्ताओं को आवंटित की गई हैं जिन्हें एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रवेश दिया गया था। हमें यह भी बताया गया कि कुछ सीटें खाली हैं क्योंकि कुछ छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया है। यदि रिक्तियां हो गई हैं, तो उन्हें नियमों के तहत निर्धारित योग्यता के आधार पर भी भरा जा सकता है।

31. यदि हम राज्य के विद्वान वकील के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री इंदु मल्होत्रा द्वारा रखे गए 2 तर्कों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने कर्तव्य में असफल होंगे। पहला यह कि शैक्षणिक वर्ष 2013-14 के लिए सीटें बढ़ाई जाएं और छात्रों को समायोजित किया जाए। ज्ञात हो कि कॉलेज द्वारा 2014-15 के लिए सीटें बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और इस याचिका के लंबित रहने के दौरान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसे वर्ष 2013-14 के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। सीटों की वृद्धि के लिए निरीक्षण की आवश्यकता होती है और इसे विनियमों के एक सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और, किसी भी स्थिति में, 2014-15 के लिए

आवेदन को चालू वर्ष में संसाधित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

32. अगला निवेदन इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या जिन छात्रों को इस वर्ष के राज्य कोटा में स्थानांतरित अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें अगले वर्ष समायोजित किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान, हालांकि शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में ऐसे छात्रों को प्रवेश देने के संबंध में कुछ बहस हुई, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विद्वान वकील श्री अमित कुमार ने इसका गंभीरता से विरोध किया और उसके बाद, उन प्राधिकारियों का हवाला दिया गया है जिनका हमने यहां पहले उल्लेख किया है। हम उक्त उदाहरणों से बंधे हैं। कुछ व्यक्तिगत मामलों में जहां दोषपूर्ण परामर्श है और योग्यता प्रभावित हुई है, इस न्यायालय ने अगले शैक्षणिक सत्र में समायोजन का निर्देश दिया है, लेकिन मौजूदा मामले में, यह बिल्कुल सच नहीं है। यद्यपि हम कष्ट में हैं, फिर भी हमें यह व्यक्त करना चाहिए कि अगले शैक्षणिक वर्ष के संबंध में उन्हें समायोजित करने के लिए निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका सहारा लेने से अन्य मेधावी उम्मीदवार प्रभावित होंगे जो अगले वर्ष प्रवेश पाने के इच्छुक होंगे। वर्तमान में कुछ लोगों के साथ समानता करने के लिए हम भविष्य में दूसरों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए, उक्त तर्क निरस्त किया जाता है।

33. तदनुसार रिट याचिका को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के निपटाया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गौरव गर्वा, (आर.जे.एस.) (UID सं. 00977) ACJM सं-1, अजमेर द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।